न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 39/2019 Gems No. 2019/00293

दायरा तिथि : 29.06.2019

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 28.02.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 02-08-2022

वादी :–

श्री फुलाराम पंवार पुत्र मोडारामजी जाति मेघवाल
निवासी वेलार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हरिराम पुत्र जीपारामजी
2. सरूपाराम पुत्र जीपारामजी
3. मदु पत्नि जीपारामजी जातिगण मेणा
   निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थितिः–

1.श्री हेमन्त वोहरा.............................. अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 01 से 03..अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार, बाली..................पैरोकार सरकार की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 02-08-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 646 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 4.20 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त तौर पर 1/2 हिस्सा अनुसार वाई मिट्स एण्ड वाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा वतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति एवं नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रोसेस सर्विस से तामील नहीं होने से न्यायालय द्वारा नियत पेशी दिनांक 07.09.2021 के सम्मन के लिफाफे रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये। रजिस्टर्ड डाक से भेजे सम्मन के लिफाफे प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हो चुके है। सम्मन के लिफाफे लेने से इन्कार की रिपोर्ट के प्राप्त होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के सम्मन सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार प्रोपर तामील माने जाते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को न्यायालय द्वारा जारी सम्मन तामील के वावजुद आदिनांक तक उक्त प्रतिवादीगण वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इन प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या–04 तहसीलदार, बाली प्रकरण में फोरमल पक्षकार होने से इनका जवाबदावा का अवसर बंद करते हुये वकील वादी के अनुरोध पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी श्री हेमन्त वोहरा ने वादग्रस्त भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 646 रकबा 1.05 हैक्टर में वादी 1/2 हिस्सा का रेकर्डेड खातेदार होने से रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 646 रकबा 1.05 हैक्टर किरम बारानी सोयम कुल लगान 4.20 रूपये के संबध रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.02.2022 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये।

प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर पालना रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड में दर्ज खातेदारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/664 दिनांक 13.07.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
फुलाराम पुत्र मोडाराम	646	0.5250	बा.सो.	2.10	
मदु पत्नि जीपाराम कौम मेणा 1/3 सरूपाराम पुत्र जीवाराम कौम मेणा 1/3 हरीराम पुत्र जीपाराम कौम मेणा 1/3	646/1	0.5250	बा.सो.	2.10	

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार....

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 39/2019 Gcms No. 2019/00293
अनवान फुलाराम बनाम हरिराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री हेमन्त बोहरा ने उपस्थित होकर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से वकील वादी सहमत है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 646 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 4.20 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
फुलाराम पुत्र मोडाराम	646	0.5250	बा.सो.	2.10	
मटु पत्नि जीपाराम कौम मेणा 1/3 सरूपाराम पुत्र जीवाराम कौम मेणा 1/3 हरीराम पुत्र जीपाराम कौम मेणा 1/3	646/1	0.5250	बा.सो.	2.10	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 4.20 **रूपये** के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोठार को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

निर्णय आज दिनांक 02-08-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

,पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

<u>वादी</u> :–
श्री फुलाराम पंवार पुत्र मोडारामजी जाति मेघवाल
निवासी वेलार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

<u>प्रतिवादीगण</u> :–

1. हरिराम पुत्र जीपारामजी
2. सरूपाराम पुत्र जीपारामजी
3. मटु पत्नि जीपारामजी जातिगण मेणा
   निवासीगण कोठार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 39/2019 Gcms No. 2019/00293
<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन से वकील वादी सहमत है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 646 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 4.20 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
फुलाराम पुत्र मोडाराम	646	0.5250	बा.सो.	2.10	
मटु पत्नि जीपाराम कौम मेणा 1/3 सरूपाराम पुत्र जीवाराम कौम मेणा 1/3 हरीराम पुत्र जीपाराम कौम मेणा 1/3	646/1	0.5250	बा.सो.	2.10	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 4.20 **रूपये** के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोठार को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02-08-22 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)